

For 50 Kg. Bags  
 New Printed Jute Bags of 50 Kg/Capacity : Amendment No. 4 July, 2014 to IS 12650 : 2003  
 B.T. Jute Bags IS 12650:2003 as per IS 9113-1993 (Second Revision)

Sl.No.	Characteristic	Requirement	Tolerance
I.	Otuse length, cm.	94	+4cm
	Otuse width, cm	57	-0 +4cm
II.	Ends/dm	76	-0 +4
III.	Picks/dm	28	-3 +2
IV.	Corrected Mass/bag, gram (See Note)	665	-2 +8.0%
V.	Average breaking strength of sacking(ravelled strip method, 10cm x 20cm), min, N(kgf):	a. Warpway	1570(160)
		b. Weftway	1420(145)
VI.	Average seam strength (5cm x 20cm ravelled strip), Min, N(kgf)	c. Side	490(50)
		d. Bottom	
VII.	Moisture regain, percent, Max		22
VIII.	Oil content on dry de-oiled Material basis, percent, Max	3	

Note : The bags of specified dimensions are suitable for packing of Wheat, Rice and similar coarse grains. For pack of other materials, the buyer and the seller may agree to the dimensions other than those specified above. mass of such bags may be calculated by the method given in 5.2 of IS 9113. However, tolerances specified in this table dimension and on the mass shall be permissible.



# भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित NATIONAL CO-OPERATIVE CONSUMERS' FEDERATION OF INDIA LTD.

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

शाखा कार्यालय: डी-79, विज्ञानपुरी, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226006

Branch Office: D-79, Vigyanpuri, Mahanagar Extension, Lucknow-226006

Ph.: 0522-4955937, 4072415 E-mail: nccfiko@gmail.com

भाराउससं/लख/व्यवसाय/2020-21/702

दिनांक-27.01.2021

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत कृषि विभाग, उ०प्र० को प्रयोग हेतु 50 किग्रा क्षमता के जूट बोरे की आपूर्ति/कय हेतु अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, बोरो की आपूर्ति हेतु मानक एवं स्पेशिफिकेशन संलग्न है। आपूर्ति हेतु बोरो का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	क्षमता	कय की जाने वाली अनुमानित मात्रा (संख्या में)	अर्नेष्ट मनी की धनराशि रू० में	ई-निविदा फार्म की धनराशि रू० में (समस्त करों सहित)
01	50 किग्रा क्षमता के जूट बोरे	260000	1,79,500.00	29500.00

### आपूर्ति हेतु अन्य नियम व शर्तः:-

- 1-आपूर्ति हेतु प्रस्तुत दरों में एन.सी.सी.एफ. की छूट/मार्जिन सम्मिलित होनी चाहिए।
- 2-कयादेश प्राप्ति के उपरान्त निर्धारित समय पर बोरो की आपूर्ति करनी होगी।
- 3-बोरा आपूर्ति के उपरान्त विभाग से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान देय होगा।
- 4-कृषि विभाग द्वारा बोरो की आपूर्ति हेतु निर्धारित अन्य समस्त शर्तें मान्य होगी।

अतः हमारी संस्था के माध्यम से उपरोक्त जूट बोरो की आपूर्ति कृषि विभाग को करने हेतु इच्छुक फर्म एन०सी०सी०एफ० के छूट/मार्जिन के साथ अपनी न्यूनतम दरें व निर्धारित अर्नेष्ट मनी व फार्म शुल्क की राशि शाखा कार्यालय, लखनऊ में दिनांक 01.02.2021 को अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा कर सकती हैं। प्राप्त किसी भी दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
कृते-भाराउससं मर्यादित  
(ए०के० सिंह)  
शाखा प्रबंधक